न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 117/2017

बलदेवसिंह पुत्र बंतासिंह कम्बोजसिख निवासी 5 जी बी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर।
2. बंतासिंह पुत्र जगासिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 5 जी बी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

———रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधि.1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर दिनांक 06.02.2017

उपस्थितिः–

श्री सुरेश अरोडा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री इकबालसिंह सिद्धू, राजकीय अधिवक्ता

श्री इकबाल कुरेशी रेस्पों. सं. 2

निर्णय दिनांक :– 08.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट के पिता बंतासिंह ने एक प्रा.पत्र भू–राजस्व अधि. की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाई बलवीरसिंह के नाम से जारी सनद कमांक पुनर्वास/1/307 जो कुल 6 सदस्यों बन्तासिंह, जग्गासिंह, ज्ञानकौर, बलदेवसिंह, बलवीरसिंह, महेन्द्रकौर व केवलसिंह के नाम से जारी की गई है। उसे दुरूस्त कर केवल बन्तासिंह एवं बलवीरसिंह के नाम चक 5 जी.बी. के खाता नं. 66 पुराना, नया 74 मु.नं. 7 प.नं. 132/382 के कि.नं. 1से 24 की 6.200है0 भूमि की खातेदारी सनद पुनः जारी की जावे।

प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई करने के बाद दिनांक 06.02.2017 को प्रा. पत्र स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

8/5/18

राजस्व अपील प्राधिकारी

श्रीगंगानगर (राज.)

संक्षेप मे वाक्यात मामला

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाए पारित किया गया है जो पूर्व में सनद जारी की गई थी। वह सही थी। अपील पेश करने की अनुमति बाबत अपीलांट ने धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा 136 एल.आर.एक्ट के प्रा.पत्र पर पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की है। ऐसे आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील पेश नहीं हो सकती। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत धारा 96 सीपीसी का प्रा. पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए प्रा.पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 06.02.2017 के विरूद्ध दिनांक 04.12.2017 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं करने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयगनर के निर्णय दिनांक 06.02.2017 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत रिकार्ड दुरूस्ती कर पाक विस्थापित को जीवों के

8/5/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

आधार पर आवंटित भूमि का इसी अनुरूप रिकार्ड दुरूस्त किया गया जबकि खातेदारी जारी सनद के अनुसार ही दर्ज योग्य होने से अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अधी. न्यायालय के निर्णय का कियात्मक अंश है कि चक 5 जी.बी.(बी.) के खाता नं. 67 पुराना मु.नं. 7 प.नं. 132/382 के कि.नं. 1 ता 25 की 6.200है0 कमाण्ड भूमि की सनद सहवन से व लिपिकीय त्रुटि से आवंटी के परिवार के सभी सदस्यों के नाम से जारी हो गई है। इसलिए इसे दुरूस्त कर सही नाम बन्तासिंह एवं बलवीरसिंह पुत्रान जग्गासिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 5 जी.बी.(बी) के नाम से राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित पाता हूँ। अतः प्रार्थी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू– राजस्व (लेण्ड रेवेन्यू) अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर चक 5 जी.बी.(बी) के खाता नं. 67 पुराना, 74 नया मु.नं. 7 प.नं. 132/382 के किला नं. 1 ता 25 की 6.200है0 कमाण्ड भूमि की दुरूस्ती आदेश के मुताबिक समस्त राजस्व रिकार्ड में मूल आवंटी बंतासिंह एवं बलवीरसिंह पुत्रान जग्गासिंह जाति कम्बोसिख निवासी 5 जी.बी.(बी.) किये जाने के दुरूस्ती आदेश दिये जाते हैं।

अपील मीमों का सार है कि पाक विस्थापित को आवंटित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल जारी सनद अनुसार होना चाहिये। इसी कथन पर अभिभाषक अपीलांट ने बल दिया, जबकि अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी मौखिक बहस में जाहिर किया कि पाक विस्थापितों को आवंटन उसे ही माना जाना जाता है जो claimat/ Non claimat होकर भारत में पुनर्वास के दौरान भारत सरकार के साथ Agreement होकर परिवार के सदस्यों की संख्या रकबे की गणना का आधार बनकर कृषि भूमि आवंटित होती है तथा लिखित बहस में अभिभाषक रेस्पों. ने जाहिर किया कि उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर का निर्णय अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 136 के तहत किया गया है जिसकी Bare reading है कि Sec. 136. Correction of errors.—The Land Records Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register-

8/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.

अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी लिखित बहस में जाहिर किया कि उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर का प्रकरण हाजा का निर्णय बहैसियत लैण्ड रिकार्डस ऑफिसर किया गया है जिसकी अपील की सन्दर्भ विधि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा के प्रावधानुसार अपील आयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत होगी। सन्दर्भ विधि की Bare reading है कि section 75(F) More Specifically – भू–राजस्व अधिनियम 1956 के चेप्टर vii की धाराए 106 से 141 तक के मामले लैण्ड रिकार्ड से जुडे मामले होकर चेप्टर vii के अन्तर्गत किये गये निर्णयों की अपीलें सम्भागीय आयुक्त/अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त के क्षेत्राधिकार में होना जाहिर किया।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने एवं सन्दर्भ विधि का अध्ययन करने पर प्रकरण हाजा राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 75(F) की परिधि में आने से अपील का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं होने से तकनिकी बिन्दु क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर